न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–06 / 2020

उनवान

1 कैलाशचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण(पारीक) नि0 ओज्याडा, तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... **वादीगण**

बनाम

1. बनवारी पुत्र रामेश्वर बारेठ नि0 ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)।
2. फूला पत्नी रामेश्वर बारेठ नि0 ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)।
3. दुर्गेश पुत्र भंवर बारेठ नि0 ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)।
4. नारायणी पत्नी भंवर बारेठ नि0 ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)।
5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाडा(राज.)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 1 व 2 जा.दी. बाबत् आदेशात्मक आज्ञा व स्थायी निषेज्ञाद्या

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –सुरेशचन्द्र अहीर उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 – अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया नियमित राजस्व वाद वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 1 व 2 जा.दी. बाबत् आदेशात्मक आज्ञा व स्थायी निषेज्ञाद्या स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 इस अमर की जारी करने के आदेश दिये जाते है कि ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का ओज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1292 रकबा 0.2655 है0, आराजी संख्या 2141 / 1292 रकबा 0.1265है0, आराजी संख्या 2142 / 1292 रकबा 0.2529है0 कुल 03 रकबा 0.6449 है0, स्थित है। जो वादी के खातेदारी हक अधिकारो के कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में अनाधिकृत तौर पर प्रवेश नहीं करे / करावे तथा न ही किसी प्रकार को कोई निर्माण कार्य आदि करे / करावे न ही वादी के अधिकार आधिपत्य की आराजी को किसी अन्य को विकय आदि करे / तद्नुसार डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है। खर्चो फरीकेन अपना–अपना वहन करें। निर्णय दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

ACE Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–06/2020

उनवान

1 कैलाशचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल जाति ब्राह्मण(पारीक) नि0 ओज्याडा, तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... **वादीगण**

बनाम

1. बनवारी पुत्र रामेश्वर बारेठ नि0 ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)।
2. फूला पत्नी रामेश्वर बारेठ नि0 ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)।
3. दुर्गेश पुत्र भंवर बारेठ नि0 ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)।
4. नारायणी पत्नी भंवर बारेठ नि0 ओज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)।
5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाडा(राज.)

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 1 व 2 जा.दी. बाबत् आदेशात्मक आज्ञा व स्थायी निषेज्ञाद्या

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –सुरेशचन्द्र अहीर उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 – अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 02.01.2025

वादी की ओर एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 1 व 2 जा.दी. बाबत् आदेशात्मक आज्ञा व स्थायी निषेज्ञाद्या जिसकी रिपोर्ट वादी द्वारा पुलिस थाना हमीरगढ पर दिनांक 21/02/2020 के समक्ष प्रस्तुत की गई, रिपोर्ट प्रस्तुत होने की जानकारी होने पर उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण वादी से नाराज हो गये और जब वादी अपने कार्यस्थल से अपने निवास पर आया तो उपरोक्त प्रतिवादीगण वादी के निवास स्थान पर आये एवं वादी के साथ मां फरोश की गाली गलोच कर धमकी दी कि तू जो कर सकता हो कर ले हम तेरी आराजी पर कब्जा करके उसे किसी अन्य को विकय, रहन आदि के जरिये खुर्द बुर्द कर देगें। यह कि जबकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वाद की पेरा संख्या 01 में वर्णित वादी को विरासत से प्राप्त वादी के हक, अधिकार, स्वामित्व, कब्जे की कृषि आराजीयात में स्थित बाड आदि को तोड कर, उस पर अपना कोई निर्माण कार्य आदि करे अथवा उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य रहन, बय, बक्षीश, विक्रय आदि करे/करावे। यदि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 वाद की पेरा संख्या 03 व 04 में वर्णित अपने उक्त कृत्य गें कामयाब हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी एवं वादी अपनी कृषि आराजी से विधि विरूद्ध तौर वंचित हो जायेगा तथा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

वादी को भारी क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में किया जाना सम्भव नहीं है। यह है कि उक्त कारण एवं आधार पर वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वादपत्र पेश करने की नौबत आई है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को इस आशय की आदेशात्मक आज्ञा / स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वे वाद की पेरा संख्या 01 में वर्णित वादी के हक, अधिकार, स्वामित्व, कब्जे की कृषि आराजीयात में किसी भी रूप में अनाधिकृत तौर प्रवेश नहीं करे / करावे, वादी के अधिका आधिपत्य, स्वामीत्व की आराजी में स्थित बाड, आदि को नष्ट नहीं करे तथा वाद की पेरा संख्या 01 में वर्णित आराजी में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आदि नहीं करे/करावे, न ही उक्त आराजी को किसी अन्य को विक्रय, रहन बय बक्षीश आदि करे/करावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19/02/2020 को वादी की आराजीयात से थोहरो की बाड को नष्ट कर/हटा दी है उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से पुनः बाडबन्दी करायी जावे।

यह कि यदि प्रतिवादीगण को उक्त आशय की आदेशात्मक आज्ञा / स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमाया गया तो प्रतिवादीगण, वादी को वाद पत्र की पेरा संख्या 01 में वर्णित वादी के हक अधिकार, आधिपत्य, स्वामीत्व की जायदाद पर अनाधिकृत तौर कब्जा कर वादी की आराजी को किसी अन्य को बय, बक्षीश, बेचान, पजेशन आदि के जरिये खुर्द बुर्द कर वादी को उसकी आराजी से वंचित कर देगें। यह है कि वादी को वाद हेतुक प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 द्वारा दिनांक 19/02/2020 को अनाधिकृत तौर वादी के अधिकार आधिपत्य की आराजी पर लगी थोहर, बाड आदि काट कर नींव खुदवाने की दिनांक से, वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना करने की दिनांक से, वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 21/02/2020 को पुलिस थाना हमीरगढ में रिपोर्ट पेश करने की दिनांक से व वादी को वादग्रस्त आराजी अपर अनाधिकृत तोर से कब्जा कर बेदखल करने की धमकी देने की दिनांक से पैदा होकर निरन्तर जारी है। यह कि मामले में प्रतिवादी संख्या 05 को राज्य सरकार का प्रतिनिधि व भूस्वामी होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। यह है कि वाद ग्रस्त कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का ओज्याडा भू.अ.नि.. हमीरगढ तहसील– हमीरगढ़, जिला– भीलवाडा (राज.) में स्थित होने से यह वादू पत्र माननीय न्यायालय आपके सीमा क्षैत्र व आपके क्षैत्राधिकार का होकर आपके समक्ष प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी पारित फरमायी जावे कि 1–कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को इस आशय की आदेशात्मक /स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद की पेरा संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में अनाधिकृत तौर प्रवेश नहीं करे / करावे तथा न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आदि करे / करावे न ही वादी के अधिकार आधिपत्य की आराजी को किसी अन्य को विक्रय आदि करे / करावे। कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 को इस आशय की आदेशात्मक / स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि यदि उनके द्वारा वाद की पेरा संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में वाद के पूर्व जो थोहरो की बाड को नष्ट कर दिया गया है उसे पुनः प्रतिवादीगण के खर्चे पर पुनः स्थापित कराया जावे तथा वाद के विचारण के दौरान किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कर लिया जावे तो उसे प्रतिवादीगणके खर्चे पर वाद पूर्व की स्थिति बहाल करायी जावें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner

प्रस्तुत वाद पत्र को न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को अपने बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया प्रतिवादी संख्या 01 लगायात 04 बावजुद सूचना के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहा जिसे प्रतिवादी संख्या 01 लगायात 04 के विरूद्ध दिनांक 19.04.2022 को प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने के कारण जवाब बन्द किये जाने की आज्ञा पारीत की गई। करते हुये पत्रावली साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में कोई जवाब अथवा प्रतिकथन वादी के वादपत्र के खण्डन में प्रस्तुत नही होने से बिना तनकीयात कायम किये प्रकरण को साक्ष्य वादी में रखा गया।

पत्रावली में दिनांक 08.09.2022 को वादी की साक्ष्य में वादी कैलाशचन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल के बयान कलमबद्ध करते हुये प्रस्तुत राजस्व अभिलेख में प्रदर्शित कराया गया तत्पश्यात् वादी की और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी समाप्त की जाकर प्रकरण को वास्ते बहस रखा गया। दिनांक 05.12.2024 को विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सूनी गई बहस सुनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया पत्रावली पर ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबन्दी समत् 2075–2078 खाता संख्या 75 पर अंकित विवरण अनुसार ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का ओज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1292 रकबा 0.2655 है0, आराजी संख्या 2141/1292 रकबा 0.1265है0, आराजी संख्या 2142/1292 रकबा 0.2529है0 कुल 03 रकबा 0.6449 है0, स्थित है। वर्णित आराजियात वादी कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रेकॉर्ड है। इस प्रकार उपलब्ध राजस्व अधिकारी अभिलेख जो की प्रदर्श संख्या 2 है इसके अनुसार वादग्रस्त आराजी भू–भाग वादी के खाते की कृषि भूमि है। जिसका की प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का कोई व्यधानिक हक अधिकार सिद्ध नही है। इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ने वादी की ओर प्रस्तुत किये गये वादपत्र का किसी भी प्रकार खण्डन में जवाब अथवा प्रतिकथन प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी स्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएवः

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया नियमित राजस्व वाद वादपत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 1 व 2 जा.दी. बाबत् आदेशात्मक आज्ञा व स्थायी निषेज्ञाद्या स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 इस अमर की जारी करने के आदेश दिये जाते है कि ग्राम ओज्याडा पटवार हल्का ओज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 1292 रकबा 0.2655 है0, आराजी संख्या 2141/1292 रकबा 0.1265है0, आराजी संख्या 2142/1292 रकबा 0.2529है0 कुल 03 रकबा 0.6449 है0, स्थित है। जो वादी के खातेदारी हक अधिकारो के कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में अनाधिकृत तौर पर प्रवेश नहीं करे/करावे तथा न ही किसी प्रकार को कोई निर्माण कार्य आदि करे/करावे न ही वादी के अधिकार आधिपत्य की आराजी को किसी अन्य को विक्रय आदि करे/करावे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner

त्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तदनुसार डिकी जारी की जावे खर्चो फरीकेन अपना–अपना वहन करें। निर्णय दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)